

20/11/17 - पत्रावली पेश। वादी अनुपाध्यता। वादी वकील  
 अनुपाध्यता। पत्रावली वाले 8/10/17 से  
 लम्बित हैं। पूर्व में भी वादी वकील से सम्मन  
 पेश उसे व सम्मन जरिये रजि. A.D भेजने  
 के आदेश हुए थे। परंतु आज निर्वाक तब पालना  
 नहीं। आज वादी पक्ष ही तरफ से कोई उपाध्यता  
 नहीं। न्यायालय समय में अलग-अलग  
 समय पर आवाजें बगाड़ी गई। कोई उपाध्यता  
 नहीं। अब चुंकि न्यायालय समय समाप्त होने  
 जा रहा है। न्यायभित में अंतिम धार पुनः आवाज  
 बगाड़ी गई। कोई उपाध्यता नहीं। अतः पत्रावली



सहायक कलक्टर एवं कार्यवाहक परिशिष्ट (आर.टी.सी.)

तारीख  
हुकम

व्यादी पक्ष की अदम धमरी व अदम पैसी में खारिज  
की जाती है। पत्रावली शुमार केपल होकर नम्बर  
में कम होकर तकमील दारिखल लिफ्त हो।



~~राज्य के कलक्टर एवं कार्यवाही मजिस्ट्रेट (जम्मू)~~  
जोधपुर

*[Faint, illegible handwritten text]*